कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह (म.प्र.)

—:: ज्ञापन ::—

क्र. 921/एक–15–1/17 दमोह, दिनांक 12 मार्च 2025

प्रति,

समस्त न्यायालय,
दमोह/हटा/पथरिया/तेंदूखेड़ा
जिला दमोह

विषयः— न्यायालयों में आदेश पत्रिका एवं साक्ष्य पत्रिका में डीपीओ/एडीपीओ के नाम का उल्लेख किये जाने बावत्।

———000———

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि न्यायालयों में लिखी जानी वाली आदेश पत्रिका एवं साक्ष्य पत्रिका में मात्र डीपीओ/एडीपीओ की उपस्थिति का लेख किया जा रहा है। जबकि पदनाम के साथ–साथ उनके नाम का उल्लेख भी किया जाना चाहिये।

अतः माननीय महोदय के यथानिर्देशानुसार लेख है कि, न्यायालयों में लिखी जाने वाली आदेश पत्रिका एवं साक्ष्य पत्रिका में डीपीओ/एडीपीओ के नाम का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।

कृते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (मध्यप्रदेश)